भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4642
दिनांक 21 अगस्त, 2025

इथेनॉल मिश्रण

†4642. श्री डी. एम. कथीर आनंदः
डॉ. मल्लू रविः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत के इथेनॉल मिश्रण की रूपरेखा की वर्तमान स्थिति क्या है और जून 2025 तक प्राप्त किए गए लक्ष्य क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा स्वच्छ ईंधन विकल्प सुनिश्चित करने हेतु संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) संयंत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार तमिलनाडु में गन्ना, टैपिओका और फल प्रसंस्करण उद्योगों से जुड़ी लघु-स्तरीय इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को बढ़ावा दे रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या किसानों के लाभ और स्थानीय रोजगार के लिए उत्तरी अर्काट क्षेत्र में ऐसी कोई इकाई प्रस्तावित है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): एक अंतरमंत्रालयीय समिति द्वारा तैयार किया गया 'भारत में एथेनॉल मिश्रण के लिए रोडमैप 2020-25' इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति – 2018, वर्ष 2022 में यथासंशोधित, में अन्य बातों के साथ-साथ, पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 से घटाकर एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 (ईएसवाई – दिनांक 01 नवम्बर, 2025 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2026) कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) ने जून 2022 में अर्थात् ईएसवाई 2021-22 के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने के पाँच माह पूर्व ही पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण, ईएसवाई 2022-23 में 12.06% एवं ईएसवाई 2023-24 में 14.60% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इसके अलावा, चालू ईएसवाई 2024-25 के लिए दिनांक 31.07.2025 की स्थिति के अनुसार मिश्रण प्रतिशत 19.05% तक हो गया है। जुलाई, 2025 माह के दौरान 19.93% का एथेनॉल मिश्रण प्राप्त कर लिया गया है।

(ख): सरकार ने देश भर में सीबीजी परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में तेल और गैस विपणन कंपनियों के साथ दीर्घकालिक समझौतों के माध्यम से सीबीजी के ऑफ-टेक के लिए

सुनिश्चित मूल्य शामिल है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की अम्ब्रेला योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी प्रकार के सीबीजी/बायोगैस संयंत्रों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करना; स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट आधारित सीबीजी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता करना; उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत सीबीजी संयंत्रों से उत्पादित जैविक खाद को किण्वित जैविक खाद (एफओएम) और तरल किण्वित जैविक खाद (एलएफओएम) के रूप में शामिल करना; सीबीजी परियोजनाओं से उत्पादित जैविक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता करना; मामला-दर-मामला आधार पर सीबीजी परियोजनाओं को 'श्वेत श्रेणी' के अंतर्गत शामिल करना; सीबीजी परियोजनाओं को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत शामिल करना; सीबीजी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विभिन्न बैंकों से ऋण उत्पाद प्रदान करना आदि शामिल है ।

सरकार द्वारा सीजीडी नेटवर्क में सीबीजी को सीएनजी के साथ समंवित करने के लिए दिशानिर्देश; नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क में सीबीजी के इंजेक्शन के लिए पाइपलाइन अवसंरचना (डीपीआई) के विकास हेतु एक योजना; और सीजीडी नेटवर्क के सीएनजी (टी) और पीएनजी (डी) खंड में सीबीजी की चरणबद्ध अनिवार्य बिक्री भी शुरू जैसे अतिरिक्त पहल की शुरुआत की गई है।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति – 2018, वर्ष 2022 में यथासंशोधित, में जैव ईंधन उत्पादन के लिए विभिन्न फीडस्टॉक्स की पहचान की गई है, इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सी और बी-हैवी शीरा, गन्ने का रस, चीनी, चीनी सिरप, घास के रूप में बायोमास, कृषि अवशेष (चावल का भूसा, कपास का डंठल, मकई के भुट्टे, लकड़ी का चूरा, खोई आदि), चीनी युक्त सामग्री जैसे चुकंदर, मीठी ज्वार आदि और स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मकई कसावा, सड़े हुए आलू, कृषि खाद्य / लुगदी उद्योग अपशिष्ट आदि शामिल हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति – 2018 के तहत गठित राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (एनबीसीसी) में इथेनॉल उत्पादन के लिए अन्य फीडस्टॉक जैसे फल और सब्जी अपशिष्ट और अवशिष्ट चीनी / चीनी सिरप / मिठास (पेय पदार्थ, रस आदि) पोस्ट बेस्ट बिफोर डेट (बीबीडी) उत्पादों की भी पहचान की गई है।

तमिलनाडु और इसके उत्तरी अर्काट क्षेत्र सहित पूरे देश में एथेनॉल के उत्पादन को सहायता देने के लिए सरकार ने भारत में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं,जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, एथेनॉल उत्पादन के लिए फीडस्टॉक का विस्तार, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत एथेनॉल अधिप्राप्ति के लिए प्रशासित मूल्य तंत्र, ईबीपी कार्यक्रम के लिए एथेनॉल पर जीएसटी दर को घटाकर 5% करना, वर्ष 2018-22 के दौरान विभिन्न एथेनॉल ब्याज अनुदान योजनाओं (ईआईएसएस) की शुरुआत, मौजूदा गन्ना आधारित डिस्टिलरियों को शीरा के साथ-साथ खाद्यान्न से एथेनॉल उत्पादन के लिए बहु-फीडस्टॉक संयंत्रों में परिवर्तित करने के लिए सहकारी चीनी मिलों के लिए एक समर्पित अनुदान योजना, ओएमसी और समर्पित एथेनॉल संयंत्रों के बीच दीर्घकालिक ऑफटेक समझौते (एलटीओए), लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके देश में उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन- वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना" को अधिसूचित करना, एथेनॉल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एथेनॉल का मल्टीमॉडल परिवहन और एथेनॉल के उच्च मिश्रणों को संभालने के लिए अन्य संबद्ध बुनियादी ढांचे के साथ एथेनॉल भंडारण क्षमता में वृद्धि करना शामिल है।

*****